न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 36/2018

1. सुल्तान पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर – **फौत**

1/1 विनोद कुमार पुत्र स्व. सुल्तान जाति जाट निवासी गोरखाना

1/2 महेन्द्र पुत्र स्व. सुल्तान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर

1/3 प्रमिला पुत्री स्व. सुल्तान जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर .

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. तारूराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. कालुराम उर्फ शंकर पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।
5. उप तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील रावतसर।

–असल रेस्पोडेन्टस

6. चन्दनमल पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. धर्मपाल पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. प्रमेश्वरी पुत्री रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. गिरदावरी पुत्री रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. गीता पुत्री रूधाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. कलावती पत्नि हनुमानसिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12. रमेश पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

13. सरोज पुत्री हनुमान सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर

— तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1

निर्णय दिनांकः— 27-3-2024

अपीलांट विरूद्व नामान्तरण आदेश सं. 1499 स्वीकृति आदेश दिनांक 13.08.2015 बअदालत उप तहसीलदार राजस्व (भू. अ.) पल्लू तहसील रावतसर अपास्त किए जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1499 दिनांक 13.8.2015 रोही मौजा पल्लू बअदालत उप तहसीलदार भू.अ. पल्लू तहसील रावतसर विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

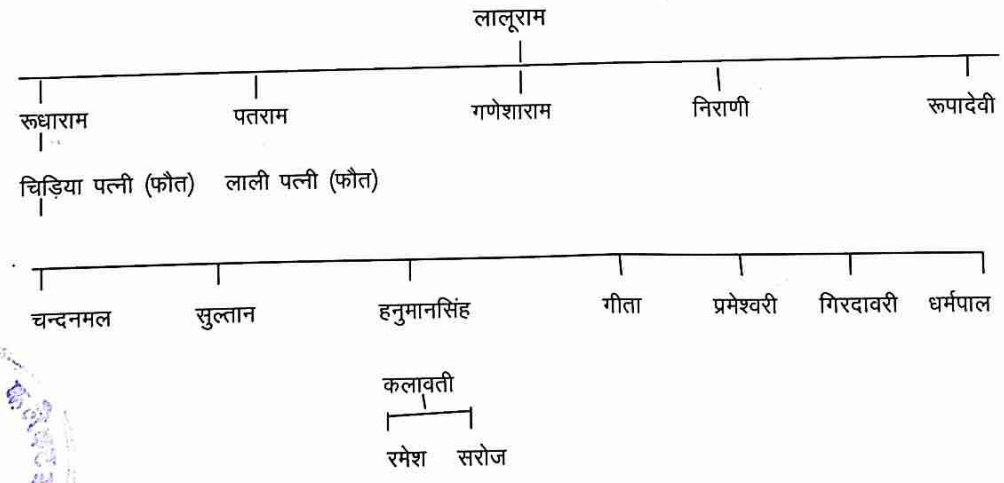

2. अपील से सम्बधित तथ्यों का सुस्पष्ट करने के लिए कुर्सीनामा अपीलान्ट निम्न प्रकार से है—

लाली, पतराम के फौत होने के बाद रूधाराम के साथ रही जिसके नुत्फे से शान्ति व कालू उर्फ शंकर व ताराचन्द उर्फ ता[illegible] उत्पन्न [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

3. रोही मौजा पल्लू तहसील [illegible] के खा[illegible] सं0 99/204 के ख0न0 294 की 1.1000 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसके रूधा[illegible] वल्द लालुराम कौम जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। उनके फौत होने के पश्चात रेस्पो0 सं0 2 ता 3 व रेस्पो0 6 ता 11 के पति हनुमानसिंह व रेस्पो0 सं0 12 ता 13 के पिता हनुमानसिंह उतराधिकारी थे। इसके अतिरिक्त शान्ति व कालु उर्फ शंकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उतराधिकारी थे। परन्तु उक्त वाद भूमि में लाली पत्नी पतराम का कोई हक व हिस्सा नही था।लाली पतराम पुत्र लालू राम की पत्नी थी, जो पतराम के फौत होने पर रूधाराम पुत्र लालुराम के साथ रहने लग गई। जिसके नुत्फे से शान्ति व कालू उर्फ शंकर व ताराचन्द उर्फ तारू उत्पन्न हुए तथा पतराम के लाली के नुत्फे से लिछमा पुत्री पैदा हुई। भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1956 नही था तथा रूधाराम की पत्नी का नाम चिडिया था, जो वाद भूमि में खातेदार काश्तकार थी। लाली पत्नी रूधाराम का मातहत अदालत ने 1/11 हिस्सा कतई गलत तौर से अपीलाधीन नामान्तरण आदेश में दर्ज किया है जबकि कानूनी तौर से द्वितीय पत्नी का वाद भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में कोई हक अधिकार नही होता है। अपीलाधीन नामान्तण विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

3. शान्ति पुत्री लाली व लाली देवी ने अपने नाम दर्ज 2/11 हिस्सा भूमि कालू उर्फ शंकर व ताराचन्द उर्फ तारू के पक्ष में दिनांक 09.12.2015 को गैर कानुनी ढंग से करवा दिया जबकि लाली का 1/11 हिस्स अवैधानिक तौर से दर्ज था। इसके बाद कालु राम पुत्र रूधाराम ने रामस्वरूप रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में खाता सं0 99/304 के ख0नं0 294 की 1.1000 हैक्ट भूमि में से 4/11 हिस्सा में से अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 हिस्सा दिनांक 09.02.2018 को बैयनामा करवा दिया। इस प्रकार लाली से, जो भूमि कालु व ताराचन्द ने खरीद की, प्रथम तो उक्त भूमि लाली खातेदार काश्तकार नही थी। उसका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही था। इसके बावजुद उक्त जो बैयनामे दिनांक 09.12.2015 व 09.02.2018 को हुए। अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 6 ता 10 व रेस्पो0 सं0 11 ता 13 के अधिकारो के विपिरित बखिलाफ है तथा उक्त दोनो बैयनामा दिनांक 09.12.2015 व दिनांक 09.02.2018 इग्नोर किये जाने योग्य है तथा तत्पश्चात इन्द्राजात खतौनियात व नामान्तरण आदि भी हक व हकुक के खिलाफ व बैजा इग्नोर किये जाने योग्य है। इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है।

5. मु. लाली बेवा पतराम ने रूधाराम पुत्र लालुराम के साथ विधिक विवाह नहीं किया था। रूधाराम पुत्र लालूराम के प्रथम पत्नी चिडिया थी। लाली, रूधाराम के भाई पतराम की पत्नी थी, जो पतराम के फौत होने के बाद रूधाराम के साथ रहने लग गई तथा नाते की औरत के रूप में रही, जिसको विधिक पत्नी का दर्जा नही था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय पत्नी सन्तानों का वाद भूमि में कोई हक अधिकार प्रथम पत्नी के रहते नही होता है। इसलिए लाली के नाम जो अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया गया है। वो कतई विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

6. चिडिया पत्नी रूधाराम सन् 2004 में फौत हुई थी। वाद भूमि में चिडिया प्रथम पत्नी रूधाराम के होते लाली का कोई हक नही था। लाली वैधानिक पत्नी नही थी तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर

वाद भूमि में अपीलान्ट के रेस्पो0 सं0 2 ता 3 व 6 ता 10 व संयुक्त रेस्पो० स० 11 ता 13 प्रत्येक का 0.11 हैक्ट के खातेदार काश्तकार थे तथा रेस्पो0 सं0 2 का भी 0.11 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार थे तथा अन्य शान्ति पुत्री लाली व कालू उर्फ शंकर लाली का भी प्रत्येक का 0.11 हैक्ट के खातेदार काश्तकार थे। अर्थात कुल भूमि 1.1000 हैक्ट भूमि में रूधाराम के 10 पुत्र पुत्रीया प्रत्येक 1/10, 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे परन्तु लाली नाते की पत्नी थी। प्रथम पत्नि चिड़िया ही विधिक तौर से वाद भूमि की उतराधिकारी थी। लाली का वाद भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही था तथा शान्ति व लाली से कालू व रेस्पो0 सं0 2 तारू ने अपने पक्ष में जो बैयनामा दिनांक 09.12.2015 करवा लिया तथा उनके हिस्से की भूमि का कालुराम ने रेस्पो0 सं0 1 को बैयनामा दिनांक 09.02.2018 को करवा दिया जब अपने हक नही होते हुये कतई गलत व विधि विरूद्व दर्ज करवाकर लाली ने भूमि अन्यत्र बैय कर दी जबकि उक्त बैयनामे अपीलान्ट के अधिकारो व हक हकूक के विपरित व बैजा है तथा इग्नोर किये जाने योग्य है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्व होने से अपास्तनीय है।

7. अपीलाधीन नामान्तरण का पूर्व में अपीलान्ट को कतई ज्ञान नही था। अपीलान्ट ने उक्त भूमि का नामान्तरण बाबत दिनांक 13.10.2018 को जब वाद भूमि में अपने हिस्से की भूमि के तारबन्दी करने गया तब रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने उसे ऐसा करने से रोका तथा कहा कि तुम्हारा हिस्सा 1/10 से कुछ कम हो गया है। तुम तार पटवारी हल्का से पैमाईश करवाकर बाधना, तब अपीलान्ट हल्का पटवारी से पैमाईश हेतु मिला तो उसे उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी हुई. तथा दिनांक 30.10.2018 को पटवारी हल्का ने प्रमाणित नकले आदि दी तथा बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश सं0 1499 स्वीकृत आदेश दिनांक 13.08.2015 रोही मौजा पल्लू बअदालत उप तहसीलदार भू.अ. पल्लू तहसील रावतसर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

पत्रावली प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की [illegible] [illegible]गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या-01 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 6 ता 13 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 6 ता 13 न तो स्वंय उपस्थित हुए और ना ही उनकी ओर से कोई विधिक पैरोकार। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 6 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार करनें बाबत कथन किया। इस हेतु दृष्टांत

1. RLR 1984 jaswant singh v/s Board of rev. & ors. Page no. 791

2. RLR 1988(I) Hardev deceased represented by his L.rs. V/s Goru & ors. page no. 609

3. [Citation : RLW 20099(2)Rj 912]

4. RRD 1994 page no. 606

5.RRT 2009(2) 1102

6. 2010(3) Civil Court Cases 374 (s.c.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण विधि सम्मत एंव सही दर्ज किया गया है। अपील को खारिज किया जावे। इस हेतु निम्न दृष्टात प्रस्तुत किये–

1. RRT 2003(1) page no. 650 to 652

2. RBJ(28) 2021 page no. 670 to 674

3. RBJ(28) 2021 page no. 743 to 747

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एव प्रस्तुत दृष्टांत का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार राजस्व पल्लू द्वारा विरासतन नामान्तरण संख्या 1499 दिनांक 13.08.2015 रोही मौजा पल्लू भरते समय रूघाराम के वारिसान चन्दनमल, सुल्तान, हनुमानसिंह, कालूराम, तारूराम, धर्मपाल, परमेश्वरी, गिरदावरी, शान्ति, गीता, के साथ लाली पत्नी पतराम का नाम भी दर्ज कर दिया जो कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि चिड़िया देवी, रूघाराम की पत्नी है(मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार) जिसकी मृत्यू दिनांक 01.03.2022 को हुई है। एक पत्नी जीवित होते हुये दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न ही वधू का कोई जीवित पति हो। हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खंड (i),(iv) और (v) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो, अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्ध उपस्थपित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन नामान्तरण भरते समय कानूनी प्रक्रिया का पालना न करते हुये रूधाराम के वारिसान के साथ ही अन्य लाली पत्नी पतराम का नाम दर्ज कर दिया, जो कानून सम्मत एंव न्यायोचित नहीं है। अतः लाली के रूधाराम की विधिमान्य पत्नी नहीं होनें के कारण अपील स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1499 दिनांक 13.08.2015 रोही मौजा पल्लू खारिज किया जाता है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू को निर्देशित किया जाता है कि रूघाराम के वारिसान की सही जांच पड़ताल की जाकर नियमानुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested